मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–116/2014 विद ओ0ए0 संख्या–437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में गोमती नदी के प्रदूषण एवं मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के संबंध में पारित आदेश दिनॉक 19.07.2019 के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनॉक 18.09.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–116/2014 विद ओ0ए0 संख्या–437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में गोमती नदी के प्रदूषण एवं मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के संबंध में पारित आदेश दिनॉक 19.07.2019 के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनॉक 18.09.2019 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2– सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 विद ओ0ए0 सं0–437/2015 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में मा0 एन.जी.टी. द्वारा गोमती नदी प्रदूषण एवं मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के संबंध में मुख्य सचिव एवं उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया।

गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में।

1. मा0 एन.जी.टी. द्वारा ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में दिनांक 23.08.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति गठित की गई। उक्त समिति गोरखपुर एवं आस–पास के क्षेत्रों में स्थित रामगढ़ ताल, आमी नदी, राप्ती नदी, रोहनी नदी के संबंध में मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का अनुश्रवण किये जाने हेतु गठित की गयी थी। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त समिति को उक्त नदियों के प्रदूषण में कमी एवं पलो को बढ़ाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किए जाने का दायित्व भी दिया गया था। पुनः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त अनुश्रवण समिति को ओ0ए0 संख्या–24/2018 शैलेश सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2019 द्वारा गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में ओवरसाईट बॉडी के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह द्वारा गोमती नदी के प्रदूषण के संबंध में दिनांक 08.06.2019 को मा0 एन.जी.टी. में दाखिल की गई अंतरिम रिर्पोट पर मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 19.07.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट दो माह के अन्दर मा0 एन.जी.टी. में दाखिल किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उक्त वाद मा0 एन.जी.टी. में दिनांक 29.11.2019 को सुनवाई हेतु नियत है।

2. उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.06.2019 में यह संस्तुति की गई है कि गोमती नदी की गुणता व अन्य प्रदूषण के सम्बन्ध मे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन सामान्य हेतु एडवाईजरी जारी की जाये कि जनसामान्य गोमती नदी के जल का उपयोग पीने/नहाने में न करें तथा उसके प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन एवं दुर्गन्ध के दृष्टिगत

तट पर भ्रमण न करें। इस संबंध में सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में गोमती नदी की जल गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके मासिक बुलेटिन में जल की गुणवत्ता के सबंध में तथा जल की उपयोगिता की जानकारी भी अंकित कराई जायेगी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त मासिक बुलेटिन बोर्ड की वेब साईट पर अपलोड किया जा रहा है। दुर्गन्ध के संबंध में कोई मानक निर्धारित न होने के कारण कोई कार्यवाही वांछित नहीं है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में समय से दाखिल की जाये।

(कार्यावाहीः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3. उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाले सभी 11 जनपदों (पीलीभीत, शॉहजाहपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा जौनपुर) हेतु गोमती में मिलने वाले सभी ड्रेन्स जिनके द्वारा सीवेज का निस्तारण गोमती नदी में किया जाता है, के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. के स्थापनार्थ उ0प्र0 जल निगम द्वारा डी.पी.आर. तैयार कर 'नमामि गंगे प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सीतापुर एवं बाराबंकी हेतु डी.पी.आर. दो माह में तैयार हो जायेगी। जनपद–जौनपुर हेतु डी.पी.आर. तैयार है, जिसे स्वीकृति हेतु भेजा गया है। इस संबंध में विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग, गोमती नदी में मिलने वाले समस्त सीवेज नालों की टैपिंग कर इनके शुद्धिकरण हेतु डी.पी.आर. तैयार करें एवं उक्त परियोजना हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करायें। इसी प्रकार गोमती नदी के किनारे स्थित अन्य जनपदों हेतु भी डी.पी.आर. तत्काल तैयार कर नगर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित कराई जाये। नगर विकास विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 एन.जी.टी. में दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण विभाग को विलम्बतम दिनांक 30.09.2019 तक उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यावाहीः नगर विकास विभाग/उ0प्र0 जल निगम)

4. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा मा.एन.जी.टी. में प्रस्तुत की गई आख्या में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण करने के लिए दोषी नगर निगम, नगर पालिका एवं अन्य संबंधित के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के कारण रू0 6,84,75,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की संस्तुति की गई है। इस संबंध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गोमती नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रयासों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रमुख रूप से उ0प्र0 जल निगम के विरूद्ध अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन को भेजी गई संस्तुतियों का उल्लेख किया गया। इसी प्रकार जनपद लखनऊ के घैला घाट पर एकत्रित लगभग 7.5 लाख टन लीगेसी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के समुचित निस्तारण न होने के दृष्टिगत नगर

आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की गई है। इन प्रकरणों का परीक्षण कर इन पर शीघ्र नियमानुसार निर्णय लिया जाय। सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित अनुपालन सूचना को उक्त अनुश्रवण समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में संज्ञान में नहीं लिया गया है, जबकि बोर्ड द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु समुचित कार्यवाही की गई है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट मा0 एन.जी.टी. में दाखिल की जाये तथा उसकी प्रति पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यावाहीः उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन)

5. बैठक में यह अवगत कराया गया कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सिंचाई विभाग एवं नगर निगम, लखनऊ को गोमती नदी में से जल कुम्भी एवं अन्य फ्लोटिंग मैटेरियल साफ कराये जाने हेतु अनेक बार नोटिस दिये गये हैं, किन्तु इनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में नगर निगम, लखनऊ / सिंचाई विभाग गोमती नदी का सर्वे कराकर जलकुम्भी व अन्य फ्लोटिंग वेस्ट को निकलवाया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायें। नगर निगम, लखनऊ एवं गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र से संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा बार–मेश लगवाकर ठोस अपशिष्ट को गोमती नदी में जाने से रोका जाये।

(कार्यावाहीः सिंचाई विभाग / नगर निगम, लखनऊ / नगर विकास विभाग)

6. यह भी अवगत कराया गया कि लखनऊ स्थित सभी रेलवे स्टेशनों एवं वर्क–शॉप से जनित सीवेज / उत्प्रवाह, सॉलिड वेस्ट एवं अन्य वेस्ट पदार्थों के समुचित शुद्धिकरण एवं निस्तारण हेतु नोटिस प्रेषित किये गये हैं। इस संबंध में यह मत स्थिर हुआ कि रेलवे स्टेशनों / वर्क–शॉप से जनित सीवेज / उत्प्रवाह, सॉलिड वेस्ट एवं अन्य वेस्ट पदार्थों के समुचित शुद्धिकरण एवं निस्तारण हेतु शासन स्तर से भी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का अनुरोध किया जाये।

(कार्यावाहीः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन)

7. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि गोमती नदी के रिजुवनेशन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित रिवर रिजुवनेशन समिति से अनुमोदित करा कर बोर्ड की वेब साईट पर अपलोड किया गया है। उक्त कार्ययोजना का क्रियान्वयन संबंधित विभागों से करा कर अनुश्रवण हेतु त्रि–स्तरीय अनुश्रवण प्रोटोकॉल विकसित किया गया है तथा कृत कार्यवाही की सूचना साझा करने के लिए बोर्ड द्वारा ऑनलाईन मॉनीटरिंग पोर्टल भी विकसित किया गया है। गोमती की जलगुणता में कार्ययोजना के लागू होने के उपरान्त गत वर्ष की तुलना में सुधार परिलक्षित हुआ है।

8. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 08.06.2019 को मा0 एन.जी.टी. में प्रस्तुत रिपोर्ट में उ0प्र0 जल निगम पर रूपये 3.00 करोड़, नगर निगम लखनऊ पर रूपये 2.00 करोड़ तथा अन्य 10 जनपदों की नगर पालिकाओं पर रू0 1.00 करोड़ (प्रत्येक), पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है। इसके साथ ही गोमती में विभिन्न नालों की टैपिंग दो वर्ष में सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 को रू0 100.00 करोड़ की परफॉरमेन्स गारन्टी जमा किये जाने की संस्तुति की गई है।

विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही नगर विकास विभाग से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम नगर विकास विभाग प्रस्तावित कार्यवाही हेतु मत स्थिर करें। तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग शीघ्र उचित निर्णय लेकर अवगत करायें।

(कार्यावाहीः नगर विकास विभाग/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन)

9. अनुश्रवण समिति द्वारा किसी भी प्रकार का प्लॉस्टिक वेस्ट, बायो–मेडिकल वेस्ट अथवा सॉलिड वेस्ट नदी तट के दोनों तरफ 150 मीटर क्षेत्र में एकत्रित/डम्प न करने की संस्तुति की गई है। इसके अतिरिक्त लखनऊ नगर निगम की सीमा में नदी तट के दोनो तरफ 150 मीटर क्षेत्र में कोई निर्माण न किये जाने की संस्तुति की गई है।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती नदी के 150 मी0 दोनों ओर ठोस/प्लास्टिक/बायोमेडिकल अपशिष्ट की डम्पिंग को प्रतिबन्ध किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा तदनुसार मा0 एन0जी0टी0 में समयान्तर्गत अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे तथा दाखिल की गयी रिपोर्ट की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायें।

(कार्यावाहीः नगर विकास विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन)

10. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न नालों के माध्यम से गोमती में गिर रहे सॉलिड वेस्ट/बायो मेडिकल वेस्ट को रोकने के लिए प्लास्टिक/स्टील/फाइबर नेट लगाने, एस.टी.पी. स्थापित होने तक नालों का बायो–रेमिडियेएशन करने, नदी में अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने, नदी किनारे वृक्षारोपण करने, आदि तथा संबंधी अन्य संस्तुतियॉ की गई है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित विभागों यथा नगर विकास,

सिंचाई एवं चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग द्वारा इस संबंध में त्वरित कार्यवाही की जाये एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन सूचना समयान्तर्गत मा0 एन.जी.टी. में दाखिल करें तथा दाखिल की गई रिपोर्ट की प्रति पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायें।

(कार्यावाहीः नगर विकास विभाग/वन विभाग/सिंचाई विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन)

11. नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि द्वारा नगर विकास से संबंधित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही कें संबंध में वांछित सूचनाएँ प्रस्तुत नही की जा सकी। इस पर मुख्य सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा यह निर्देश दिये गये कि भविष्य में मा0 एन.जी.टी. से संबंधित महत्वपूर्ण बैठकों में प्रकरण से भिज्ञ एवं सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी द्वारा ही प्रतिभाग किया जाये।

(कार्यावाहीः नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन)

<u>मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के संबंध में।</u>

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 05.04.2019 को अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष के रायबरेली भ्रमण के समय मेसर्स मालविका सीमेन्ट प्रा0 लि0, रायबरेली के निरीक्षण हेतु संबंधित उद्योग कर्मचारियों द्वारा फैक्ट्री का गेट नही खोला गया। इस पर संबंधित थाना एवं सिटी मजिस्ट्रेट के आग्रह पर भी गेट नही खुलवाया जा सका। मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 06.08.2019 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग बंद पाया गया तथा बताया गया कि उद्योग 24.03.2017 से बन्द है। संयुक्त टीम द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31(ए) के अन्तर्गत निर्देश दिये गये हैं कि उद्योग का संचालन बोर्ड से नियमानुसार सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। इसके अतिरिक्त निरीक्षण दिनांक 05.04.2019 को निरीक्षण में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में उद्योग के संबंधित कार्मिक के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–38(बी) के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोजन दाखिल किया गया है। उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के संबंध में विगत पॉच वर्षों में उद्योग संचालित रहने की अवधि से संबंधित अभिलेख प्राप्त कर परीक्षण किया जा रहा है तथा नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी।

इस संबंध में यह निर्णय किया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या मा0 एन.जी.टी. में दाखिल करें।

(कार्यावाहीः पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन)

12. बैठक में विचारोपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि राजकीय विभागों/संस्थाओं के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने अथवा अभियोजनात्मक

कार्यवाही किये जाने के पूर्व नोटिस अवश्य दी जाये तथा वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर विचार–विमर्श कर इसका सम्यक् समाधान निकाला जाय।

(कार्यावाहीः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

अन्त में बैठक धन्यवाद के समाप्त हुई।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–N.G.T.-477/81–7–2019–44(रिट)/2016 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 25 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ वित्त/जल शक्ति (सिंचाई)/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, लखनऊ।
6. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।